

District Registry Office, Bhagalpur

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं 204

RTPS No.:-
030116221002300205

चूंकि श्री Anand Mohan Sahay ने मेरे आगे आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संकाय में निबन्धित संव्यवहारों और अवधारों का निरक्षण प्रमाण-पत्र दिया जाय।
एवंद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में यही है। और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता 01/01/2008 से ता 29/01/2023 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चला है -

1	District Registry Office, Bhagalpur	Jagdishpur, Tilkananjan 09-230-638	5-32 Dec	0
---	--	------------------------------------	-------------	---

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।
निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया -

नाम - Manish Kumar Gaurav
LDC

तलाशी का संव्यवहार और प्रमाण पत्र को जारी निम्नलिखित व्यक्ति ने की -

नाम - S. Kumar
UDC

आचार्य - District Registry Office, Bhagalpur



दिनांक - 30/01/2023

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

दिनांक -

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रांजिक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो या अथवा किन्हीं दिनेदिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर यह और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेगी।

3. किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।

4. और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसकी द्वारा दूँद गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक - 338 दिनांक - 30/01/2023

शाखा प्रबन्धक Verma Infra, Kharmanchak के पत्र दिनांक 29/01/2023

के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

Rajesh Verma

District Registry Office, Bhagalpur

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 211

RTPS No.:-
030116221002300212

चूंकि श्री Nilam Sahay ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संकन में निम्नलिखित संव्यवहारों और अवधारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।
एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में वही 1 म और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता०
01/01/2008 से ता० 19/01/2023 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चला है:-

क्र.सं.	संव्यवहार/अवधार	दिनांक	पृष्ठ सं.	पृष्ठ सं.	पृष्ठ सं.
1	District Registry Office, Bhagalpur	Jagdishpur Tilkamanjhi/09-230-638	4.09 Dec	0	

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।
निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

नाम - Manish Kumar Gaurav

LDC

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :-

नाम - Sunil Kumar

UDC

कार्यालय - District Registry Office, Bhagalpur



मोहर -

30/01/2023

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी -

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।)
2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हैं तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हैं तो अथवा किन्हीं विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर यह और अनुक्रमणों उनके सामने रख दी जायेंगी।
3. किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने मरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी मूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
4. और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा दूढ़ गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:- 345

दिनांक:- 30/01/2023

शाखा प्रबंधक Verma Infra, Kharmanchak के पत्र दिनांक 29/01/2023

के आलोक में प्रेषित

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

Rajesh Verma

District Registry Office, Bhagalpur

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 210

RTPS No.:-
030116221002300211

जो कि श्री Bindhyawati Sahay ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संकेत में निम्नलिखित संव्यवहार और अवधारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाता है।
एकदम प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहार और अवधारों के बारे में कहीं भी और उससे संबंधित अनुक्रमणिका में ता० 01/01/2008 से ता० 29/01/2023 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहार और अवधारों का पता चला है:-

क्र.सं.	विवरण	हॉट के. नं.	पंजीकृत नं.	दिनांक	प्रति	स्थान
1	District Registry Office, Bhagalpur	Jagdishpur	Elkamanili 09 260 638	4 097 Dec	0	

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

नाम - Mamish Kumar Gaurav
LDC

तलाशी का परेक्षण और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :-

नाम - Sush Kumar
UDC

कार्यालय - District Registry Office, Bhagalpur



30/01/2023

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:-

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति दहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियों देखना चाहते हैं तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हैं तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वह और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।
3. किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किराई भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
4. और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा दूँडे गये ऐसे संव्यवहार और अवधारों के लिए किसी भी तरह का कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:- 344 दिनांक:- 30/01/2023

शाखा प्रबंधक Verma Infra, Kharmanchak के पत्र दिनांक 29/01/2023

के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

Rajesh Verma

District Registry Office, Bhagalpur

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 209

RTPS No.:-
030116221002300210

श्री. श्री Bina Ram Das ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संघ में निम्नलिखित संयुक्तताओं और अवधारणों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया गया है।
एवम् प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित व्यक्तियों को प्रमाणित करने वाले संयुक्तताओं और अवधारणों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणिका में ता० 01/01/2008 से ता० 29/01/2023 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संयुक्तताओं और अवधारणों का पता चला है:-

1	District Registry Office, Bhagalpur	Jagdishpur, Tilkamanglu 9 651	6/6 A B	4-41 Dec	0
---	--	-------------------------------	------------	-------------	---

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संयुक्तताओं और अवधारणों को छोड़, उक्त संपत्ति का प्रमाणित करने वाला कोई अन्य संयुक्तता और अवधारण का पता नहीं चला है।
निम्नलिखित व्यक्तियों ने तलाशी की और प्रमाण पत्र स्वीकार किया :-

नाम - Manish Kumar Gaurav
LDC

तलाशी का संस्थापन और प्रमाण पत्र की जांच निम्नलिखित व्यक्तियों ने की :-

नाम - Sanu Kumar
UDC

कार्यालय - District Registry Office, Bhagalpur



दिनांक - 30/01/2023

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:-

1. इस प्रमाण पत्र में जो संयुक्तताओं और अवधारणों दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण स भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निर्विवाद दर्शावेजों में दिखाया गया है, तो इन दर्शावेजों से प्रमाणित संयुक्तता (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
2. निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणिकाओं (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हैं तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हैं तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारणों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बही और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।
3. किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने मरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भी गलती के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
4. और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा दूँडे गये ऐसे संयुक्तताओं और अवधारणों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:- 343 दिनांक:- 30/01/2023

शाखा प्रबंधक Verma Infra, Kharmanchak के पत्र दिनांक 29/01/2023

के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

District Registry Office, Bhagalpur

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 208

RTPS No.:
030116221002300209

यूनि. श्री Sanjay Kumar Sah. ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संकेत में निम्नलिखित संव्यवहारों और अवधारों का निवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।
एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में वही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 01/01/2008 से ता० 29/01/2023 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता पता है:-

1	District Registry Office Bhagalpur	La. Bhagalpur - Bhamanji 9 651	656 A.H	443 Dec	0
---	---------------------------------------	--------------------------------	------------	------------	---

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं पता है।

नाम - Manish Kumar Gaurav
LDC

तलाशी के संवापन और प्रमाण पत्र की जांच निम्नलिखित व्यक्ति ने की -

नाम - Sanjay Kumar
UDC

कार्यालय - District Registry Office, Bhagalpur



शेष -

30/01/2023

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी-

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दर्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दर्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हैं तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हैं तो अथवा जिन्हें विनिर्देशित संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी रख करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर यह और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेगी।
3. किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भी भूल के लिए किसी भी तरह को जिम्मेवारी नहीं होगी।
4. और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक- 342 दिनांक- 30/01/2023

राष्ट्रिय प्रबंधक Verma Infra, Kharmanchak के पत्र दिनांक 29/01/2023

के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

District Registry Office, Bhagalpur

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 216

RTPS No.:-
030116221002300219

श्री Swarnendu Kumar Gosh ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबन्धित संव्यवहारों और अवधारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।
एवम् प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में वही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता०
01/01/2008 से ता० 30/01/2023 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चला है—

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.	पृष्ठ सं.	पृष्ठ सं.
1	District Registry Office, Jagdishpur Tilkananji 9 630 597 ka. kha.637	13.8	dec	0

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।
निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

नाम - Manish Kumar Gaurav
LDC

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की -

नाम - Sujit Kumar
UDC

कार्यालय - District Registry Office, Bhagalpur



तारीख - 31/01/2023

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी-

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।)
2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वह और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।
3. किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
4. और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:- 353 दिनांक:- 31/01/2023

शाखा प्रबंधक Verma Infra, Kharmanchak के पत्र दिनांक 31/01/2023

के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

Rajesh Verma